न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 05 / 2022
अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम्

1. कमलादेवी पत्नी सुरेन्द्रसिह जाति राजपुत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. नरेश पुत्र सुरेन्द्रसिह जाति राजपुत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. बलकेश सिह पुत्र मलूसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर
4. वेदप्रकाश पुत्र सुरेन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. इन्द्रो पुत्री प्रभूराम जाति नाई राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. कालूराम पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तसहील नाहेर
7. नीटूराम पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. नौरगलाल पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. भवरलाल पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. भागमल पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. महावीर पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. रामा देवी पत्नी प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. श्रवण कुमार पुत्र प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
14. सोहनलाल पुत्र प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नेाहर।

अप्रार्थीगण

16. कानाराम पुत्र लीलूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
17. महावीर पुत्र नत्थुराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
18. शिवभगवान पुत्र लीलूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अभिभाषक, सायलान
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवता अप्रा. न0 9 ता 13

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 9/89 की कुल 1.7710हैक भूमि प्रार्थी/सायल व तरतीबी गैरसायलान के नाम सयुक्त तौर से दर्ज है।

रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 110/105 की कुल 6.8310हैक भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है

रोही मोजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 73/42 की कुल 1.7710हैक जिसमें अप्रार्थी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 से 11 प्रत्येक 1/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 12 का 1/8 , अप्रार्थी संख्या 13 का 1/9 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 14 का 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:30:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी/सायल व तरतीबी गैरसायलान संख्या 16 ता 18 अपने खेत प0न0 316/408(29) के किला न0 22 ता 25 में आवागमन करने हेतु प0न0 316/406(29) के किला न0 5/2 ,6 ,15 ,16 के उतर से दक्षिण होकर किला न0 25 में प्रवेश करते है इसी रास्ते से प्रार्थी/सायल हमेशा से आवागमन करते आ रहे है यही रास्ता सायल/प्रार्थी व तरतीबी गैरसायलान को अपने खेत मे आवागमन करने के लिये सबसे छोटा व सुविधाजनक रास्ता है उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थी/सायल की भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता सुगम सुविधाजनक व सबसे छोटा रास्ता है जिससे हमेशा से आवगमन करते आ रहे है किन्तु यह राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हे रास्ते की भूमि के बदले में भूमि या बाजार भाव से मुल्य देने को तैयार है प्रार्थी /सायल को अपनी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

अतः सायल/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 110/105 के प0न0 316/406(29) के किला न0 5/2 की 0.215हैक भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि है में से 0.016125हैक भूमि रास्ता उत्तर से दक्षिण (लम्बाई) व प0न0 316/406(29) के किला न0 6 की 0.2530हैक , 15/0.2530हैक , 16/0.2530हैक जो अप्रार्थी संख्या 5 ता 14 की खातेदारी भूमि है में से उतर से दक्षिण प्रत्येक किला में 1–1/2 बिश्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल /प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गेरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 ,14 को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तरतीबी गेरसायलान का अनुतोष सायल में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही है अप्रार्थी संख्या 9 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की प्रार्थी महेन्द्र की भूमि कम उपजाउ है काश्त योग्य भी नही है उतरादाता की भूमि उपजाउ व समतल है अच्छी किस्म की है यदि भूमि के बदले दुगनी भूमि दी जाती तो न्यायहित में होगा अच्छी किस्म की भूमि में रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही होगा सायल क्लीन हैण्ड से नही आया हे क्योकि गैरसयाल संख्या 1 ता 4 की भूमि के चिपते हुए कोई भूमि नही है रास्ते के बारे में सही तथ्य अंकित नही किये गये है पटवारी हल्का ने एकपक्षीय तेयार की गई है जिसकी सुचना गैरसायलान का नही दी गई है सायल के खेत में पहले से ही रास्ता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायलान एव गैरसायलान एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है सायल का पक्की सडक से अपनी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है प्रार्थी/सायल व तरतीबी गैरसायलान संख्या 16 ता 18 अपने खेत प0न0 316/408(29) के किला न0 22 ता 25 में आवागमन करने हेतु प0न0 316/406(29) के किला न0 5/2 ,6 ,15 ,16 के उतर से दक्षिण होकर किला न0 25 में प्रवेश करते है इसी रास्ते से प्रार्थी/सायल हमेशा से आवागमन करते आ रहे है यही रास्ता सायल/प्रार्थी व तरतीबी गैरसायलान को अपने खेत मे आवागमन करने के लिये सबसे छोटा व सुविधाजनक रास्ता है उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:50:31 IST
Reason: SelfAttested

गेरसायल संख्या 9 ता 13 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की गैरसायलान 9 ता 13 ने अपनी भूमि में आवागमन करने हेतु प्रार्थी महन्द्र से रास्ता चाहा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गया है दोनो प्रकरण एक दुसरे की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने से सम्बधित है दोनो प्रकरणो का एक साथ निर्णय पारित किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 9/89 की कुल 1.7710हैक्ट भूमि प्रार्थी/सायल व तरतीबी गैरसायलान के नाम सयुक्त तौर से दर्ज है।

रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 110/105 की कुल 6.8310हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है

रोही मोजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 73/42 की कुल 1.7710हैक्ट जिसमें अप्रार्थी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 9 से 11 प्रत्येक 1/12 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 12 का 1/8 हिस्सा , अप्रार्थी संख्या 13 का 1/9 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 14 का 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

सायल /प्रार्थी का कथन है कि उसकी भूमि में पक्की सडक से अपने खेत में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल हमेशा से अपनी भूमि में उक्त रास्ता से आवागमन करता आ रहा है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 9 ता 13 का कथन है कि उसके द्वारा भी अपनी भूमि में आवागमन करने के लिये प्रार्थी से रास्ते की मांग की गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है उसका भी निस्तारण फरमाया जावे अर्थात रास्ता स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की प्रार्थी महेन्द्र की भूमि कम उपजाउ है काश्त योग्य भी नही है उतरादाता की भूमि उपजाउ व समतल है अच्छी किस्म की है यदि भूमि के बदले दुगनी भूमि दी जावे

सायल का कथन स्वीकार योग्य है कि पक्की सडक से उसकी भूमि तक आवागमन करने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है गेरसायल का कथन भी स्वीकार योग्य है कि अन्य प्रकरण रास्ता स्वीकृत करने हेतु विचाराधीन है

न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 24/2022 अनवानी भंवरलाल बनाम कानाराम विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी भवंरलाल जो हस्तगत प्रकरण में गेरसायल संख्या 9 है ने महेन्द्र जो उक्त प्रकरण में गेरसायल संख्या 2 है अर्थात हस्तगत प्रकरण के गैरसायल संख्या 9 ने प्रार्थी महेन्द्र से अपनी भूमि में आवागमन करने हेतु रास्ता चाहा गया है।

न्यायालय में विचाराधीन हस्तगत प्रकरण व प्रकरण संख्या 24/2022 अनवानी भवंरलाल बनाम कानाराम दोनो प्रकरणों में प्रार्थी एव गैरसायलान अपनी अपनी भूमि में आवागमन करने हेतु रास्ते स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है दोनो प्रकरणो का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोट/नजरीय नक्शा के अनसुार प्रार्थी वर्तमान में अपनी भूमि में आवागमन करने के लिये प0न0 316/406(29) किला न0 5/2 ,6 ,15 ,16 के उतर दक्षिण की और से पूर्व दिशा में रास्ते के रूप में उपयोग कर रहे है तथा इस रास्त के निकटतम दुरी पर पक्की सडक प0न0 316/406(29) किला न0 1 ता 5 तक बनी हुई है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी को उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है ना ही उपयुक्त है उक्त रास्ता छोटा सुविधाजनक रास्ता है ।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपो[illegible]रीय नक्शा से पूर्णत्या स्पष्ट है कि पक्की सडक प0न0 316/406(29[illegible] रिकार्ड में दर्ज एव वर्तमान में मौका पर चालू है से स[illegible] गैरसायलान की भूमि है सायल की भूमि तक पहुचने के लिये पक्की सडक से गेरस[illegible]ान की भूमि तक रास्ता स्वीकृत करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:50:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ही सायल अपनी भूमि में आवागमन कर सकते है जो उपयुक्त सुविधाजनक एव सबसे छोटा रास्ता है

किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि तक जाने के लिये रास्ता दिया जाना उचित हे किन्तु जहॉ से रास्ता दिया जा रहा है वह सायल व अन्य काश्तकारो के लिये उपयोगी हो और अन्य किसी काश्तकार के हित भी प्रभावित नही होते हो प्रार्थी ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह न्यायोचित है जिससे गैरयायल के हित भी प्रभावित नही हो रहे है।

अतः सायल／प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 110／105 के प0न0 316／406(29) के किला न0 5／2 की 0.215हैक भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि है में से 0.016125हैक भूमि रास्ता उतर से दक्षिण (लम्बाई) व प0न0 316／406(29) के किला न0 6 की 0.2530हैक , 15／0.2530हैक , 16／0.2530हैक जो अप्रार्थी संख्या 5 ता 14 की खातेदारी भूमि है में से उतर से दक्षिण प्रत्येक किला में 1–1／2 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी／सायल रास्ता में जीतनी भूमि आती हे उतनी भूमि गैरसायलान को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए रास्ते को छोडते हुए देगा इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:50:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2025 / 713 दिनांक 11/06/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 05 / 2022 निर्णय दिनांक 11/06/25

अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम्

1 कमलादेवी पत्नी सुरेन्द्रसिह जाति राजपुत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. नरेश पुत्र सुरेन्द्रसिह जाति राजपुत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. बलकेश सिह पुत्र मलूसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर
4. वेदप्रकाश पुत्र सुरेन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. इन्द्रो पुत्री प्रभूराम जाति नाई राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. कालूराम पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तसहील नाहेर
7. नीटूराम पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. नौरगलाल पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. भवरलाल पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. भागमल पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. महावीर पुत्र जीराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. रामा देवी पत्नी प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. श्रवण कुमार पुत्र प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
14. सोहनलाल पुत्र प्रभूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

16. कानाराम पुत्र लीलूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
17. महावीर पुत्र नत्थुराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।
18. शिवभगवान पुत्र लीलूराम जाति नाई निवासी जसाना तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 110 / 105 के प0न0 316 / 406(29) के किला न0 5 / 2 की 0.215हैक भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि है में से 0.016125हैक भूमि रास्ता उतर से दक्षिण (लम्बाई) व प0न0 316 / 406(29) के किला न0 6 की 0.2530हैक , 15 / 0.2530हैक , 16 / 0.2530हैक जो अप्रार्थी संख्या 5 ता 14 की खातेदारी भूमि है में से उतर से दक्षिण प्रत्येक किला में 1–1 / 2 बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी / सायल रास्ता में जीतनी भूमि आती हे उतनी भूमि गैरसायलान को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए रास्ते को छोडते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:50:31 IST
Reason: SelfAttested